

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा एग्रियम इंक. और पोटाश कॉरपोरेशन ऑफ सस्कॅचेवान, इंक. के बीच संयोजन के बारे में जनता की टिप्पणियां आमंत्रित

Posted On: 29 MAR 2017 8:15PM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (''कमीशन'') वर्तमान में प्रस्तावित संयोजन का आकलन कर रहा है जिसके लिये एग्रियम इंक. और पोटाश कॉरपोरेशन ऑफ सस्कॅचेवान, इंक. ने एक नोटिस दायर किया है। आयोग का प्रथम दृष्टा मत है कि इस प्रस्तावित संयोजन से प्रतिस्पर्धा पर एक सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए इसने पार्टियों को जनता की जानकारी में तथा इस प्रस्तावित संयोजन से प्रभावित या प्रभावित होने वाले लोगों के संज्ञान में लाने के लिये इस संयोजन का विवरण प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।

पार्टियों ने चार समाचार पत्रों-बिजनेस लाइन, द बिजनेस स्टैंडर्ड, द इंडियन एक्सप्रेस और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अखिल भारतीय संस्करणों में 24.03.2017 को इस प्रस्तावित संयोजन का विवरण प्रकाशित कराया है और इसे अपनी वेबसाइटों पर भी होस्ट किया है। कथित विवरण आयोग की वेबसाइट (www.cci.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

अधिनियम की उपधारा 3 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार आयोग प्रस्तावित संयोजन से बुरी तरह प्रभावित व्यक्तियों या प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से लिखित में अपनी टिप्पणियां/ आपित्तियां/सुझाव आमंत्रित करता है। इन्हें सचिव भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 7वीं मंिजल, 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110031 के पते पर या ईमेल secy@cci.gov.in पर प्रस्तावित संयोजन का ब्यौरा प्रकाशित होने की तिथि से 15 कार्य दिवसों में पहुंच जाना चाहिए। प्रस्तावित संयोजन के माध्यम से एग्रियम और पोटाश कोर्प अपने परिचालनों को एक नई इकाई में अर्थात नये पेरेंट में विलय करने का इरादा रखते हैं।

वीके/आईपीएस/वीके - 855

(Release ID: 1486060) Visitor Counter: 7









in